(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर0के0 मिश्रा

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1944–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–4–2016 पारित द्वारा कलेक्टर जिला रीवा प्रकरण क्रमांक–121/बी–66/अपील/2014–15.

.....

रामचन्द्र यादव तनय श्री महादेव
निवासी ग्राम करहिया नं0 तहसील हुजूर
जिला रीवा म0प्र0

------आवेदक

विरूद्ध

मोतीलाल यादव तनय मटुकधारी यादव
निवासी ग्राम करहिया नं0 1 तहसील हुजूर
जिला रीवा म0प्र0

------अनावेदक

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला रीवा के आदेश दिनांक 12–4–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 1/अ–66/13–14 में पारित आदेश दिनांक 13–8–15 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपील कलेक्टर रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। दिनांक 8–3–2016 को अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया। दिनांक 15–3–2016 को अनावेदक की ओर से पुर्नस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 12–4–2016 को पुर्नस्थापन आवेदन

स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये। कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि दिनांक 8–3–2016 को अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया था। यदि अनावेदक की उपस्थिति में आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है तब अनावेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण पुर्नस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। पुर्नस्थापन आवेदन अवधि बाह्य प्रस्तुत किया गया था जिसपर कलेक्टर द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि अनावेदक अभिभाषक द्वारा त्रुटिवश गलत तिथि अंकित होने जाने से प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया था। अभिभाषक की त्रुटि के लिए पक्षकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह भी तर्क किया कि पुर्नस्थापन हेतु आवेदन निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा प्रकरण पुर्नस्थापित करने में त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी खारिज की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण कलेक्टर ने दिनांक 8–3–2016 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया। दिनांक 15–3–2016 को अनावेदक की ओर से पुर्नस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 12–4–2016 को पुर्नस्थापन आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अनावेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष पुर्नस्थापन आवेदन अवधि बाह्य प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक की ओर से पुर्नस्थापन आवेदन

दिनांक 9–3–2016 को अर्थात 1 दिन पश्चात ही प्रस्तुत किया गया है। कलेक्टर द्वारा पुर्नस्थापन आवेदन में अंकित परिस्थितियों पर विचार कर पुर्नस्थापन आवेदन मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष आवेदक को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप किये जांने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है। कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 12–4–16 स्थिर रखा जाता है।

29/6/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,